

20 JAN 2026

प्रेषक  
गोपालगंज

पत्रांक-पी0-5/21-01-01-2019/.....08

बिहार पुलिस मुख्यालय  
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक/  
पुलिस अधीक्षक(रेल सहित)

विषय:- गृह विभाग बिहार, पटना द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 की  
समीक्षा के संबंध में। पटना, दिनांक-20.01-2

प्रसंग:- बिहार पुलिस मुख्यालय (विधि-व्यवस्था प्रभाग) का आदेश ज्ञापक-798, दिनांक-16.12.  
2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को समय 11:30 बजे  
पूर्वाह्न में विडियो कॉन्फ्रेंसींग के माध्यम से सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस  
उप-महानिरीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) के साथ अधोहस्ताक्षरी की  
अध्यक्षता में विधि-व्यवस्था, अपराध एवं अन्य बिन्दुओं पर बैठक आयोजित की जाती है। उक्त  
मामले के अतिरिक्त गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2026 के संबंध में  
समीक्षा की जानी है।

अतः गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2026 की प्रारूप  
प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित नियमावली के संबंध में अपने मंतव्य के साथ  
दिनांक-21.01.2026 को आहूत बैठक में शामिल रहना सुनिश्चित किया जाय।

इस पर पुलिस महादेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।  
अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

संख्या-09/चौ0-90-18/2022 गृ0आ0...../ पटना, दिनांक.....2026

भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा चौकीदार संवर्ग की भर्ती, सेवा-शर्तों, प्रोन्नति, कर्तव्य एवं दायित्वों को विनियमित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।-

- यह नियमावली "बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2026" कही जायेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।- इस नियमावली में, जबतक कोई तथ्य विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो -

- "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार।
- "विभाग" से अभिप्रेत है, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार।
- "चयन संस्थान" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना या गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा निर्धारित अन्य संस्थान।
- "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, संबंधित जिले का जिला पदाधिकारी।
- "संवर्ग" से अभिप्रेत है, चौकीदार संवर्ग।
- "बीट" से अभिप्रेत है, संवर्ग के कर्मों का अवधारित कार्यक्षेत्र।

3. संवर्ग का गठन।-

- बिहार चौकीदार संवर्ग में निम्नलिखित पद सम्मिलित होंगे -

| क्रमांक | कोटि का नाम | स्तर                   |
|---------|-------------|------------------------|
| 1       | चौकीदार     | मूल कोटि               |
| 2       | दफादार      | प्रथम प्रोन्नति स्तर   |
| 3       | वरीय दफादार | द्वितीय प्रोन्नति स्तर |

- संवर्ग के सभी कोटि के पदों की संख्या एवं वेतनमान वही होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जायेगा।
- विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत सभी चौकीदार, दफादार एवं वरीय दफादार इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।
- यह जिला स्तरीय संवर्ग होगा और संबंधित जिला पदाधिकारी इसके नियुक्ति प्राधिकार तथा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार होंगे। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थापन यथा सम्भव उनके आवासीय थाना क्षेत्र के अन्तर्गत होगा।

4. शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अन्य पात्रताएँ।-

- चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से दसवीं (10) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो। चरित्र की उनके नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा करायी जायेगी।

- (iii) अभ्यर्थी को साईकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें साईकिल चलाने का ज्ञान नहीं है उन्हें नियुक्ति से तीन माह के अंदर साईकिल चलाना सीखना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी सेवा सम्पुष्ट नहीं की जायेगी।
- (iv) अभ्यर्थी बिहार राज्य के स्थायी निवासी होंगे तथा वे अपने स्थायी निवास जिला के चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे एवं उनकी नियुक्ति उनके गृह जिला में ही की जायेगी। उनका स्थानान्तरण अन्य जिलों में नहीं किया जायेगा।

5. उम्र सीमा।-

- (i) सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष।
- (ii) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों का शिथिलीकरण, यानि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 32 वर्ष।
- (iii) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों का शिथिलीकरण, यानि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 33 वर्ष।
- (iv) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण, यानि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष।
- (v) राज्य सरकार के गृह रक्षकों को उम्र सीमा में पाँच वर्षों की छूट दी जायेगी। यह छूट किसी गृह रक्षक के प्रथम योगदान की तिथि के तीन वर्ष बाद ही लागू होगी।

6. आरक्षण।-

इस संवर्ग में सीधी नियुक्ति तथा प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा निर्धारित आरक्षण रोस्टर से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। रोस्टर का संधारण जिला स्तर पर होगा।

7. चयन की प्रक्रिया।-

- (i) जिला पदाधिकारियों द्वारा अपने जिला में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लीयरेंस कराते हुए कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना विभाग को 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (ii) विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी जिलों से प्राप्त अधियाचना "चयन संस्थान" को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (iii) विभाग से प्राप्त अधियाचना के आधार पर "चयन संस्थान" द्वारा समेकित विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। विज्ञापन में जिलावार रिक्तियों का कोटिवार उल्लेख किया जायेगा। अभ्यर्थी को अपने जिला की रिक्ति के विरुद्ध ही आवेदन करना होगा।

- (iv) "चयन संस्थान" द्वारा लिखित एवं शारीरिक क्षमता जाँच परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
- (v) "चयन संस्थान" द्वारा लिखित परीक्षा एवं शारीरिक क्षमता जाँच परीक्षा में प्राप्त अंक के योग के आधार पर प्रत्येक जिला की कोटिवार मेधा सूची तैयार कर प्रकाशित की जायेगी और इसकी सूचना विभाग के साथ-साथ सभी जिलों को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. परीक्षा की प्रकृति।- "चयन संस्थान" द्वारा चयन हेतु परीक्षा दो स्तरों पर आयोजित की जायेगी, जिसमें 75 अंकों की लिखित परीक्षा एवं 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा ली जायेगी। कुल 125 अंकों की परीक्षा में अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन जिलावार मेधा सूची एवं कोटिवार रिक्तियों के आधार पर किया जायेगा।

**(i) लिखित परीक्षा -**

(क) सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति की होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी एवं प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिया जायेगा। परीक्षा की अवधि 1:30 घण्टा की होगी।

(ख) लिखित परीक्षा दसवीं (मैट्रिक) कक्षा के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्राप्तांक के आधार पर, जिलावार रिक्तियों की कुल संख्या का पाँच गुणा, मेधा क्रम से कोटिवार सफल अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जायेगा।

**(ii) शारीरिक परीक्षा -**

(क) लिखित परीक्षा से चयन किये गए अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा ली जायेगी। शारीरिक परीक्षा में सर्वप्रथम शारीरिक माप लिया जायेगा, जो निम्नवत् होगा -

| क्र०सं० | कोटि                                    | ऊँचाई (न्यूनतम) |
|---------|-----------------------------------------|-----------------|
| (क)     | अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष      | 165 से०मी०      |
| (ख)     | अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष             | 162 से०मी०      |
| (ग)     | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पुरुष | 160 से०मी०      |
| (घ)     | सभी कोटि की महिला                       | 155 से०मी०      |

न्यूनतम शारीरिक माप में योग्य पाये गए अभ्यर्थी अगले चरण के शारीरिक क्षमता जाँच के लिए पात्र होंगे।

(ख) शारीरिक क्षमता जाँच - लिखित परीक्षा एवं शारीरिक माप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता जाँच में भाग लेंगे। शारीरिक क्षमता परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी, जिसमें दौड़, ऊँची कूद एवं गोला फेंक दक्षता की जाँच की जायेगी।

दौड़ - अधिकतम अंक- 30 अंक

सभी पुरुष अभ्यर्थी को एक मील (1.6 कि०मी०) एवं सभी महिला अभ्यर्थी एक किलोमीटर की दौड़ में शामिल होंगे, जिसके लिए निम्न आधार पर अंक दिये जायेंगे -

| क्र०सं० | पुरुष/महिला | निर्धारित समय                                                                  | निर्धारित अंक |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (i)     | पुरुष       | 05 मिनट या उससे कम                                                             | 30 अंक        |
|         |             | 05 मिनट 01 सेकण्ड से 05 मिनट 30 सेकण्ड तक                                      | 24 अंक        |
|         |             | 05 मिनट 31 सेकण्ड से 06 मिनट तक                                                | 18 अंक        |
|         |             | 06 मिनट 01 सेकण्ड से 06 मिनट 30 सेकण्ड तक                                      | 12 अंक        |
|         |             | 06 मिनट 31 सेकण्ड से 07 मिनट तक<br>(इससे अधिक समय लेने वाले असफल घोषित होंगे।) | 06 अंक        |
| (ii)    | महिला       | 04 मिनट या उससे कम                                                             | 30 अंक        |
|         |             | 04 मिनट 01 सेकण्ड से 04 मिनट 30 सेकण्ड तक                                      | 24 अंक        |
|         |             | 04 मिनट 31 सेकण्ड से 05 मिनट तक                                                | 18 अंक        |
|         |             | 05 मिनट 01 सेकण्ड से 05 मिनट 30 सेकण्ड तक                                      | 12 अंक        |
|         |             | 05 मिनट 31 सेकण्ड से 06 मिनट तक<br>(इससे अधिक समय लेने वाले असफल घोषित होंगे।) | 06 अंक        |

ऊँची कूद - यह अधिकतम 10 अंकों की होगी, जो निम्न आधार पर दिये जायेंगे -

| क्र०सं० | पुरुष/महिला | निर्धारित समय                     | निर्धारित अंक |
|---------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| (i)     | पुरुष       | 05 फीट या उससे अधिक               | 10 अंक        |
|         |             | 04 फीट 06 इंच से 04 फीट 11 इंच तक | 08 अंक        |
|         |             | 04 फीट से 04 फीट 05 इंच तक        | 06 अंक        |
|         |             | 04 फीट से कम कूदने पर             | शून्य अंक     |
| (ii)    | महिला       | 04 फीट या उससे अधिक               | 10 अंक        |
|         |             | 03 फीट 06 इंच से 03 फीट 11 इंच तक | 08 अंक        |
|         |             | 03 फीट से 03 फीट 05 इंच तक        | 06 अंक        |
|         |             | 03 फीट से कम कूदने पर             | शून्य अंक     |

गोला फेंक - यह अधिकतम 10 अंकों की होगी। पुरुष अभ्यर्थी को 16 पाँड तथा महिला अभ्यर्थी को 12 पाँड का गोला फेंकना होगा, जिसके लिए निम्न आधार पर अंक दिये जायेंगे -

| क्र०सं० | पुरुष/महिला | निर्धारित समय                  | निर्धारित अंक |
|---------|-------------|--------------------------------|---------------|
| (i)     | पुरुष       | 20 फीट से अधिक                 | 10 अंक        |
|         |             | 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक | 08 अंक        |
|         |             | 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक | 06 अंक        |
|         |             | 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक | 04 अंक        |
|         |             | 16 फीट से 17 फीट तक            | 02 अंक        |
|         |             | 16 फीट से कम फेंकने पर         | शून्य अंक     |
| (ii)    | महिला       | 16 फीट से अधिक                 | 10 अंक        |
|         |             | 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक | 08 अंक        |
|         |             | 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक | 06 अंक        |
|         |             | 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक | 04 अंक        |
|         |             | 12 फीट से 13 फीट तक            | 02 अंक        |
|         |             | 12 फीट से कम फेंकने पर         | शून्य अंक     |

नोट - (i) निर्धारित समय में दौड़ पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही ऊँची कूद एवं गोला फेंक में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। दौड़ में असफल अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त हो जायेगी।

(ii) मात्र गोला फेंक एवं ऊँची कूद में अधिकतम तीन मौके दिये जायेंगे एवं इसमें शून्य प्राप्तांक अभ्यर्थी को भी मेधा सूची में शामिल किया जायेगा।

“चयन संस्थान” द्वारा निर्धारित तिथि पर शारीरिक क्षमता जाँच की विडियोग्राफी करायी जायेगी और शारीरिक क्षमता जाँच का परिणाम उसी दिन (परीक्षा की निर्धारित तिथि को) घोषित कर दिया जायेगा।

9. मेधा सूची।- लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं शारीरिक क्षमता जाँच में प्राप्त अंक के योग के आधार पर प्रत्येक जिला में कोटिवार मेधा सूची तैयार की जायेगी। दो अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में उनकी जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी वरीय होंगे। समान अंक एवं समान जन्मतिथि की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी वरीय होंगे। समान अंक, समान जन्मतिथि एवं समान शैक्षणिक अर्हता वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी दसवीं (10) अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक में अधिक अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।
10. नियुक्ति।- (क) “चयन संस्थान” द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा के आधार पर जिला पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य, चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जाँच करायी जायेगी। जाँच में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जायेंगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लम्बित होने पर उनकी नियुक्ति के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा। जाँचोपरांत योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जायेगा।
  - (ख) (i) चयनित चौकीदारों की नियुक्ति यथा-सम्भव उनके बीट क्षेत्र/निकटवर्ती बीट क्षेत्र/निकटवर्ती पंचायत क्षेत्र/निकटवर्ती प्रखण्ड क्षेत्र में किया जायेगा।
  - (ii) आवासीय क्षेत्र के निकट रिक्ति की पूर्ति वरीयता के आधार पर की जायेगी। रिक्ति नहीं होने पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति यथासम्भव उनके आवासीय क्षेत्र के निकटवर्ती बीट क्षेत्र/निकटवर्ती पंचायत क्षेत्र/निकटवर्ती प्रखण्ड क्षेत्र में की जायेगी। सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जायेगा।
  - (iii) नियुक्ति के उपरांत संबंधित चौकीदार को अपने पदस्थापित कार्य क्षेत्र में निवास करना होगा।
11. परीवीक्षा।- चौकीदार के पद पर नियुक्ति परीवीक्षा के आधार पर की जायेगी। परीवीक्षा की अवधि एक वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में किसी चौकीदार की सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने एवं सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा नहीं करने पर परीवीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। वर्द्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर ऐसे चौकीदार की सेवा समाप्त की जा सकेगी।

## 12. प्रशिक्षण।-

(i) परिक्ष्यमान अवधि के दौरान प्रशिक्षु चौकीदार को विभाग द्वारा विनिश्चित प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी।

(ii) विभाग द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम एवं उसे सफलतापूर्वक पूरा करने का मानदंड विनिश्चित करने के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को समय-समय पर संशोधित किया जायेगा।

नोट- थाना प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु चौकीदार को उनके कर्तव्य एवं थाना क्षेत्र/बीट से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी दी जायेगी।

## 13. सम्पुष्टि।- नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परीक्षा अवधि की पूर्णता के बाद परीक्षाधीन चौकीदारों की सेवा सम्पुष्टि की जायेगी।

## 14. प्रोन्नति।-

(क) जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पुष्टि, प्रोन्नति, रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की अनुशंसा की जायेगी, जिसके लिये निम्नरूपेण समिति का गठन किया जायेगा -

|       |                                                                     |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| (i)   | जिला पदाधिकारी                                                      | - अध्यक्ष |
| (ii)  | वरिय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक                                    | - सदस्य   |
| (iii) | वरिय उप समाहर्ता (चौकीदार संवर्ग के प्रभारी)                        | - सदस्य   |
| (iv)  | सभी अनुमण्डल पदाधिकारी                                              | - सदस्य   |
| (v)   | जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जन-जाति के एक पदाधिकारी। | - सदस्य   |
| (vi)  | जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के एक पदाधिकारी।     | - सदस्य   |

(ख) संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के चौकीदार संवर्ग के कर्मियों के सेवापुस्त का संधारण एवं संरक्षण किया जायेगा।

(ग) कार्यक्षमता, संतोषजनक कार्यकलाप एवं वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से इस संवर्ग के उच्चतर कोटि के पदों पर प्रोन्नति दी जायेगी।

(घ) प्रोन्नति हेतु रोस्टर, आरक्षण कालावधि आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जायेगा।

## 15. चौकीदारों के कर्तव्य।-

(i) अपने बीट क्षेत्र में होने वाले सभी भूमि विवाद, अतिक्रमण आदि की सूचना चौकीदार द्वारा समय-समय पर संबंधित थानों को दिया जायेगा।

(ii) बीट क्षेत्र के अन्तर्गत सभी प्रकार के साम्प्रदायिक विवाद, त्योहार, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट इत्यादि से संबंधित विवादित मामलों की सूचना देगा।

(iii) पारिवारिक विवाद, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह एवं गाँव से जुड़े अन्य विवादित मामलों की सूचना देगा।

- (iv) अपने बीट क्षेत्र के किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अप्रत्याशित धनार्जन एवं वैभव का प्रदर्शन (जिसमें अवैध गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका हो) के संबंध में सूचना उपलब्ध करायेगा।
- (v) अपने बीट क्षेत्र में हुए जन्म-मरण की जानकारी रखेगा।
- (vi) जिस थाने की सीमाओं के भीतर 'बीट' अवस्थित हो, उसमें होने वाले हर अस्वाभाविक, संदिग्ध या आकस्मिक मृत्यु की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-33 और 35 में निर्दिष्ट किसी अपराध यथा-हत्या, सड़ोष, मानव-हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, चोरी, अग्निकाण्ड एवं उससे उत्पन्न क्षति, गृह-भेदन, सिक्कों का कूटकरण, गम्भीर घोट पहुँचाना, बलवा, जड़ता-कारक औषधि देना, अपहरण और उक्त अपराध करने की सभी चेष्टाएँ और तैयारियाँ तथा उनके दुष्प्रेरण की तुरंत सूचना संबंधित थाने को देगा तथा ऐसे सभी विवादों से पुलिस को अवगत करायेगा, जिनसे कोई दंगा या गम्भीर हंगामा होने की संभावना हो।
- (vii) गैर-सरकारी व्यक्तियों की ऐसी गिरफ्तारियाँ, जो धारा-40 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत विधिसंगत हों, करने में सहायता देगा तथा ऐसी गिरफ्तारियों की सूचना संबंधित थाने के थानाध्यक्ष को अविलम्ब देगा।
- (viii) अपने 'बीट' के भीतर दुश्चरित्रों (दागियों) की गतिविधि पर निगाह रखेगा और समय-समय पर उपयुक्त पदाधिकारी को इस संबंध में सूचना देगा।
- (ix) संबंधित थाने के थानाध्यक्ष को अपने क्षेत्राधिकार के समीपवर्ती स्थानों में संदिग्ध व्यक्तियों के पहुँचने की सूचना देगा।
- (x) पंचायत के किसी सदस्य की मृत्यु या लगातार दो महीने से अधिक अनुपस्थिति की रिपोर्ट उपयुक्त पदाधिकारी को देगा।
- (xi) जिला पदाधिकारी या किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा अपेक्षित स्थानीय खबर मांगे जाने पर चौकीदार उन्हें देगा।
- (xii) यदि चौकीदार पद पर पूर्व से नियुक्त व्यक्ति अपने 'बीट' का स्थायी निवासी न हो तो, वह नियुक्ति की तिथि से युक्ति-युक्त समय के अन्दर संबंधित 'बीट' में अपने स्थायी रूप से निवास की व्यवस्था करेगा। वह अपने 'बीट' में रात्रि गस्त करेगा तथा प्रत्येक रात्रि अपने 'बीट' में उपस्थित रहेगा।
- (xiii) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विभाग द्वारा प्रभावी नियमों का उल्लंघन होने पर इसकी सूचना तत्काल संबंधित थानाध्यक्ष को देना सुनिश्चित करेंगे।

#### 16. दफादारों/वरीय दफादारों के कर्तव्य।-

- (i) आवश्यकतानुसार प्रत्येक थाना क्षेत्र में दो दफादार एवं एक वरीय दफादार को पदस्थापित किया जायेगा, जो वहाँ कार्य करने वाले चौकीदारों के काम का पर्यवेक्षण करेंगे।
- (ii) दफादार/वरीय दफादार को सामान्यतः अपने थाना क्षेत्र से बाहर नियोजित नहीं किया जायेगा और उसे पुलिस तथा चौकीदारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा। वह अपनी पूरी योग्यता से पुलिस को उसके कर्तव्य-सम्पादन में सहायता देगा और ऐसे कर्तव्य निर्वहन के दौरान पुलिस द्वारा निकाले गए सभी विधिसंगत आदेशों का पालन करेगा।

- (iii) दफादार/वरीय दफादार एक सजिल्व टिप्पणी-पुस्त रखेगा, जिसमें 'बीट' के मौजों और आबाद ग्रामों के नाम, चौकीदारों के नाम (जिनके कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु पुलिस-अधीक्षक उसे आदेश दें), फरारों के नाम, तथा शस्त्र लाईसेंस धारियों के नाम संघारित किये जायेंगे। ऐसी प्रविष्टियाँ शुद्ध और अद्यतन हों इसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।
- (iv) दफादार/वरीय दफादार अपने 'बीट' के ग्रामों में रात और दिन, दोनों समय नियतकालिक रूप से गश्त लगायेगा। वे अपने अधीनस्थ चौकीदारों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का उचित रूप से निष्पादन कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (v) दफादार/वरीय दफादार, सप्ताह में कम से कम चार रात, अपने अधीनस्थ कम से कम दो चौकीदारों के बीटों का अचानक निरीक्षण करेंगे और चौकीदार को सचेत रहने तथा अपने कर्तव्य का पालन करने पर निगरानी रखेंगे। वे अपने बीट क्षेत्र में पदस्थापित चौकीदार के सभी कार्यों एवं गतिविधियों से अवगत रहेंगे।
- (vi) दफादारों/वरीय दफादारों द्वारा निम्नांकित प्रपत्र में एक दैनिकी पंजी थाना में संघारित की जायेगी, जिसमें उनके थाना क्षेत्र के बीट से संबंधित प्रत्येक संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तिथिवार दर्ज की जायेगी-

| क्रम संख्या | तिथि | निरीक्षित ग्राम/स्थान का नाम | दुश्चरित्रों, अजनबियों आदि की गतिविधियों/संदिग्ध गतिविधियों का संक्षिप्त व्योरा | अभ्युक्ति | सूचना देने वाले चौकीदार का नाम एवं हस्ताक्षर |
|-------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
|             |      |                              |                                                                                 |           |                                              |

- (vii) दफादार/वरीय दफादार जब किसी थाने पर जाये या जब कभी थानाध्यक्ष मांग करे, तब उसे थानाध्यक्ष के सामने अपनी दैनिकी पंजी उपस्थापित करनी होगी। इस प्रयोजन के लिए उसे संख्यांकित पृष्ठों की सजिल्व दैनिकी पंजी दी जायेगी।
- (viii) दफादार/वरीय दफादार अपने अधीनस्थ सभी चौकीदारों के साथ थाना परेड में बिहार पुलिस हस्तक नियम-110 के प्रावधानानुसार उपस्थित होंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी चौकीदार निर्धारित वर्दी में उपस्थित हों तथा बिहार पुलिस हस्तक के नियम-112 के अनुसार सारी अपेक्षित सूचनाएँ देंगे। यदि कोई चौकीदार अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित हो तो दफादार/वरीय दफादार इसकी सूचना परेड संचालन पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से देंगे। सभी चौकीदार, दफादार एवं वरीय दफादार संबंधित पंचायत भवन/कार्यालय में प्रति दिन उपस्थिति बनायेंगे तथा अपने संबद्ध थाना में साप्ताहिक उपस्थिति बनायेंगे।
- (ix) यदि कोई चौकीदार बीमारी या अन्य अपरिहार्य कारण से कर्तव्य निष्पादित करने में असमर्थ हो तो उनके स्थान पर बीट क्षेत्र में प्रतिस्थानी भोजना दफादार/वरीय दफादार का कर्तव्य होगा और इसकी सूचना संबंधित प्राधिकार को तत्काल देनी होगी।
- (x) चौकीदार का पद रिक्त होने पर स्थानीय थाना इसका प्रतिवेदन तुरंत यथास्थिति जिला पदाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय को देगा। संबद्ध पंचायत

भी ऐसी रिक्तियों का प्रतिवेदन तुरंत यथास्थिति सीधे जिला पदाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी कार्यालय को देगा।

17. बीट पुनर्गठन।- संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी द्वारा विधि व्यवस्था एवं आसूचना संग्रह के आवश्यकतानुसार वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर बीट का पुनर्गठन किया जायेगा।
18. वर्दी।- इस संवर्ग के सदस्यों के लिए निर्धारित वर्दी निम्नवत् होगी -
  - (i) पुरुषों के लिए खाकी पैट, खाकी कमीज तथा महिलाओं के लिए खाकी पैट, खाकी कमीज/खाकी साड़ी, खाकी ब्लाउज/खाकी सलवार-समीज। जाड़े में खाकी स्वेटर/जैकेट/ओवर कोट।
  - (ii) कमीज की दाहिनी जेब अथवा साड़ी/समीज के उपर दाहिनी ओर नेमप्लेट, खाकी कपड़े का कमरबंद (बेल्ट)।
  - (iii) कंधे पर, जिला पुलिस के बैच की तरह, बिहार ग्रामीण पुलिस (BGP/बि०ग्रा०पु०) लिखा हुआ बैच होगा। साथ ही, कंधे से सटे नीचे बाँह पर जिला पुलिस की तरह, चौकीदार के लिए पीले रंग की एक लाईन, दफादार के लिए पीले रंग की दो लाईन एवं वरीय दफादार के लिए पीले रंग की तीन लाईन होगी।
  - (iv) चौकीदार, दफादार एवं वरीय दफादार के लिए लाल टोपी।
  - (v) चौकीदार/दफादार/वरीय दफादार की टोपी पर बिहार ग्रामीण पुलिस (BGP/बि०ग्रा०पु०) लिखा हुआ पीतल का बैच।
  - (vi) चौकीदार/दफादार/वरीय दफादार के कमरबंद (बेल्ट) पर बिहार ग्रामीण पुलिस (BGP/बि०ग्रा०पु०) लिखा हुआ पीतल का बकलस।
  - (vii) काला जूता/बूट, खाकी मोजा।
  - (viii) केन/लाठी, टॉर्च, व्हिसल।
19. परिचालनात्मक (Operational) नियंत्रण।- इस संवर्ग के सदस्यों पर परिचालनात्मक (Operational) नियंत्रण संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का होगा। संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इनके वेतनादि का मुग्तान करेंगे, जिसके लिए उन्हें आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।
20. अनुशासन।- कदाचार, अक्षमता अथवा कर्त्तव्य की अवहेलना आदि कारणों से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इस संवर्ग के कर्मियों के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी, परन्तु इस संवर्ग के कर्मियों के विरुद्ध नियमावली के प्रावधानों के तहत निलंबित करने, अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने अथवा लघु दंड देने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार की शक्ति संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक में प्रत्यायोजित रहेगी।
21. प्रकीर्णन।- संवर्ग के सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित जिन विषयों का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा समक्ष कोर्ट के कर्मियों के संबंध में समय-समय पर किये गये प्रावधान लागू होंगे।

22. निर्वाचन।- इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वाचन के संबंध में कोई रांका उत्पन्न हो, तो वैसे मामले को विभाग को संदर्भित किया जायेगा और विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।
23. निरसन एवं व्यावृत्ति।- बिहार चौकीदारी मैनुअल, बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006, उक्त नियमावली में समय-समय पर किये गए संशोधन संबंधी अधिसूचनाएं एवं चौकीदार संवर्ग की नियुक्ति से संबंधित समय-समय पर निर्गत सभी अनुदेश/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त मैनुअल/नियमावलियों/अनुदेशों/परिपत्रों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रणव कुमार)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 09/चौ0-90-18/2022 गृ0आ0...../ पटना, दिनांक.....2026  
प्रतिलिपि- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 250 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित (सी0डी0 के साथ)।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 09/चौ0-90-18/2022 गृ0आ0...../ पटना, दिनांक.....2026  
प्रतिलिपि- राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजमदन, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पटना/अपर मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 09/चौ0-90-18/2022 गृ0आ0...../ पटना, दिनांक.....2026  
प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव